प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

कोरम: <u>माननीय श्री राजीव गुप्ता , मुख्य न्यायाधिपति एवं</u>

<u>माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश</u>

<u>दाण्डिक अपील क्रमांक 689/1994</u>

भगवान

विरुद्ध

मध्य प्रदेश राज्य

(अब छत्तीसगढ़)

<u>निर्णय</u>

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचार हेतु

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

<u>माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव गुप्ता</u>

मैं सहमत हूँ ।

सही/-
मुख्य न्यायाधिपति
न्यायाधीश

निर्णय हेतु दिनाँक 17/07/2012 को सूचीबद्ध करें ।

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

कोरम: <u>माननीय श्री राजीव गुप्ता , मुख्य न्यायाधिपति एवं</u>

<u>माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश</u>

<u>दाण्डिक अपील क्रमांक 689/1994</u>

अपीलार्थी भगवान पिता गोवर्धन उडिया केवट, आयु लगभग 19 वर्ष,
निवासी- आमानाला दफाई, हल्दीबाड़ी, चिरमिरी, जिला-
सरगुजा ,मध्यप्रदेश (अब छत्तीसगढ़)

विरुद्घ

प्रत्यर्थी मध्य प्रदेश राज्य
(अब छत्तीसगढ़)
द्वाराः थाना चिरमिरी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(<u>दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) के अधीन प्रस्तुत अपील</u>)

<u>उपस्थिति</u>:-

अपीलार्थी की ओर सेः श्री देवेश चंद्र वर्मा,अधिवक्ता

राज्य की ओर सेः श्री अरविंद दुबे, पैनल अधिवक्ता

(निर्णय)

(17.07.2012)

इस न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय **<u>सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश</u>** द्वारा पारित किया गया।

1. यह अपील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मनेंद्रगढ़ द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 14/91 में दिनाँक 30 जून, 1994 को पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। आक्षेपित निर्णय द्वारा, अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन दोषसिद्ध किया गया है एवं आजीवन कारावास से दंडित किया गया है।

2. दिनांक 26.3.90 को लगभग रात 2:00 बजे, चार पीड़ित अर्थात्- बन्नू उर्फ बनवास (अ.सा.-3), सुदर्शन (अ.सा.-4), तीरनाथ (अ.सा.-5) और गणपत (अ.सा.-9) एक कीर्तन मंडप के खुले स्थान पर दो अलग-अलग खाटों पर सो रहे थे। आरोप है कि अपीलार्थी वहाँ फरसा और रॉड लेकर आया और उपरोक्त व्यक्तियों पर हमला किया, जिससे उन्हें कई गंभीर चोटें आईं। सुदर्शन (अ.सा.-4), तीरनाथ (अ.सा.-5) और गणपत (अ.सा.-9) सोते-सोते ही बेहोश हो गए थे, किंतु बन्नू उर्फ बनवास (अ.सा.-3) जाग गया और उसने घटना को देखा। प्रकरण की सूचना पुलिस को दी गई। पीड़ितों को उनकी चिकित्सकीय परीक्षण हेतु भेजा गया। पीड़ितों को आई चोटें निम्नानुसार हैं: —

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>बन्नू उर्फ बनवास (अ.सा.-3):</u>

(**i**) बायीं कलाई पर सूजन, जिसका रंग लाल है;

(**ii**) बायीं अग्रबाहु की तीसरी मेटाकार्पल और मध्यमा अंगुली पर 3 **x** 1 सेमी और 3 **x** 1 सेमी की सूजन और खरोंच ;

(**iii**) दाईं अग्रबाहु पर सूजन और लालिमा;

(**iv**) दाईं अग्रबाहु पर 0.7 **x** 0.2 सेमी **x** मांसपेशी की गहराई तक का कटा हुआ घाव ;

(**v**) बायीं अग्रबाहु पर 3 **x** 0.1 सेमी **x** त्वचा की गहराई तक का कटा हुआ घाव;

(vi) कपाल के पिछले हिस्से पर 3 **x** 0.2 सेमी **x** मांसपेशी की गहराई तक का कटा हुआ घाव;

(vii) बाएं पार्श्व क्षेत्र पर 10 **x** 0.5 सेमी **x** हड्डी की गहराई तक का कटा हुआ घाव;

(viii) बाएं ललाट क्षेत्र पर 8 **x** 0.5 सेमी **x** हड्डी की गहराई तक का कटा हुआ घाव;

(ix) बाएं पार्श्व क्षेत्र पर 4 **x** 0.5 सेमी **x** हड्डी की गहराई तक का एक और कटा हुआ घाव;

(x) कपाल के पिछले हिस्से पर 3 **x** 0.2 सेमी **x** मांसपेशी की गहराई तक का कटा हुआ घाव;

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(xi) दाएं पार्श्व क्षेत्र पर 8 **x** 0.5 सेमी **x** हड्डी की गहराई तक का कटा हुआ घाव।

(xii) दाएं पार्श्व क्षेत्र पर 6 **x** 0.5 सेमी **x** हड्डी की गहराई तक का कटा हुआ घाव;

(xiii) बाएं पार्श्व क्षेत्र पर 5 **x** 0.5 सेमी **x** हड्डी की गहराई तक का कटा हुआ घाव;

(xiv) दाएं पार्श्व क्षेत्र पर 10 **x** 0.5 सेमी **x** हड्डी की गहराई तक का कटा हुआ घाव;

(xv) दाएं पार्श्व क्षेत्र पर 8 **x** 0.5 सेमी **x** हड्डी की गहराई तक का कटा हुआ घाव; एवं

(xvi) दाएं पार्श्व क्षेत्र पर 2 **x** 0.2 सेमी **x** मांसपेशी की गहराई तक का कटा हुआ घाव।

चोट संख्या (**i**) से (**iii**) तक कठोर एवं खुरदरी वस्तु द्वारा कारित की गई थीं तथा अन्य चोटें धारदार हथियार द्वारा पहुंचाई गई थीं। ये चोटें जीवन के लिए संकटकारी थीं। चोट संख्या (**i**) एवं (**ii**) के लिए एक्स-रे परीक्षण की सलाह दी गई थी। आहत रिपोर्ट प्रदर्श पी-14ए है।

<u>सुदर्शन (अ.सा.-4)</u>

(**i**) बाएं मैक्सिलरी क्षेत्र पर 2 **x** 0.4 **x** 0.3 सेमी का कटा हुआ घाव;

(**ii**) जाइगोमैटिक क्षेत्र (गाल की हड्डी) पर 1 **x** 0.3 **x** 0.3 सेमी का कटा हुआ घाव;

(**iii**) बाएं पार्श्व क्षेत्र पर 8 **x** 0.5 सेमी **x** हड्डी की गहराई तक का कटा हुआ घाव;

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(**iv**) बाएं पार्श्व क्षेत्र पर 8 **x** 0.7 सेमी **x** हड्डी की गहराई तक का विदीर्ण घाव;

(**v**) बाएं पिन्ना को काटते हुए मैस्टॉइड क्षेत्र फैला हुआ 4 **x** 0.5 सेमी का कटा हुआ घाव; एवं

(**vi**) पश्चकपाल क्षेत्र पर 5 **x** 0.4 सेमी **x** हड्डी की गहराई तक का कटा हुआ घाव।

चोट संख्या (**iv**) के लिए एक्स-रे परीक्षण की सलाह दी गई थी। चोट संख्या (**iv**) कठोर एवं खुरदरी वस्तु द्वारा कारित की गई थी और अन्य चोटें धारदार हथियार द्वारा पहुंचाई गई थीं। ये चोटें जीवन के लिए संकटकारी थीं। आहत रिपोर्ट प्रदर्श पी-12ए है।

<u>तीरनाथ (अ.सा.-5)</u>

(**i**) बाएं कोहनी पर सूजन, जिसमें अस्थि-क्षति होने की संभावना है;

(**ii**) मैक्सिलरी क्षेत्र पर सूजन;

(**iii**) जाइगोमैटिक क्षेत्र पर सूजन;

(**iv**) दाएं सुप्रा ऑर्बिटल क्षेत्र पर 1.5 **x** 0.4 सेमी **x** हड्डी की गहराई तक का कटा हुआ घाव ;

(**v**) बाएं पिन्ना पर 3/4 इंच का कटा हुआ घाव; एवं

(**vi**) दाएं कान के पिछले हिस्से पर 4 **x** 0.4 सेमी **x** हड्डी की गहराई तक का कटा हुआ घाव।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

चोट संख्या (**i**) से (**iii**) तक कठोर एवं खुरदरी वस्तु द्वारा कारित की गई थीं तथा चोट संख्या (**iv**) से (**vi**) तक धारदार हथियार द्वारा पहुंचाई गई थीं। सभी चोटें जीवन के लिए संकटकारी थीं। कपाल के एक्स-रे परीक्षण की सलाह दी गई थी। आहत रिपोर्ट प्रदर्श पी-13ए है।

<u>गणपत (अ.सा.-9)</u>

(**i**) माथे पर 11 **x** 1 सेमी **x** हड्डी की गहराई तक का कटा हुआ घाव ;

(**ii**) दाएं ललाट क्षेत्र पर 8 **x** 2 सेमी **x** हड्डी की गहराई तक का कटा हुआ घाव; मस्तिष्क की झिल्ली कट गई थी और श्वेत द्रव्य बाहर निकल रहा था; एवं

(**iii**) अधिजठर क्षेत्र पर 1.2 **x** 0.4 सेमी **x** मांसपेशी की गहराई तक का वेधक घाव।

सभी चोटें धारदार हथियार द्वारा कारित की गई थीं। चोट संख्या (iii) किसी नुकीली वस्तु द्वारा पहुंचाई गई थी। वह (पीड़ित) अर्ध-चेतनावस्था में था। चोट संख्या (ii) के लिए एक्स-रे परीक्षण की सलाह दी गई थी। यह चोट जीवन के लिए संकटकारी थी। आहत रिपोर्ट प्रदर्श पी-11ए है।

(3) विद्वान सत्र न्यायाधीश ने पीड़ितों के कथनों का अवलंब लेते हुए और डॉ. एस.एन. सुहाने (अ.सा.-7) द्वारा सिद्ध की गई उनकी चोटों पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि यह बिना किसी युक्तियुक्त संदेह के साबित हो गया है कि अपीलार्थी ने उपरोक्त 4 पीड़ितों के जीवन को समाप्त करने का प्रयत्न किया था, इसलिए वह भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन दंड का भागी है। तदनुसार, अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन दोषसिद्ध किया गया और आजीवन कारावास से दण्डित किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री देवेश चंद्र वर्मा ने तर्क दिया कि 4 पीड़ितों में से 3 यह पहचान नहीं सके कि उन पर हमला किसने किया था; चौथे पीड़ित— बन्नू उर्फ बनवास(अ.सा.-3) का साक्ष्य अस्थिर/अविश्वसनीय प्रतीत होता है। अतः मुख्य रूप से बन्नू उर्फ बनवास (अ.सा.-3) के साक्ष्य पर आधारित दोषसिद्धि यथावत रखे जाने योग्य नहीं है। वैकल्पिक रूप से, उन्होंने दण्ड के प्रश्न पर बहस की और निवेदन किया कि घटना के दिन अपीलार्थी की आयु लगभग 19 वर्ष थी; यह पूर्व शत्रुता का प्रकरण नहीं है; किसी भी पीड़ित को कोई हड्डी की चोट नहीं आई थी; अपीलार्थी ने बहुत लंबी अवधि तक विचारण की पीड़ा झेली है, इसलिए उसे आजीवन कारावास से दण्डित नहीं किया जाना चाहिए और दण्ड को उपयुक्त रूप से कम किया जाना चाहिए।

(5) इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री अरविंद दुबे ने इन तर्कों का विरोध किया तथा सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया।

(6) हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को विस्तारपूर्वक सुना है और सत्र प्रकरण के अभिलेखों का भी परिशीलन किया है।

(7) 4 आहत व्यक्तियों, यथा: बन्नू उर्फ बनवास (अ.सा.-3), सुदर्शन (अ.सा.-4), तीरनाथ (अ.सा.-5) और गणपत (अ.सा.-9) में से, बन्नू उर्फ बनवास (अ.सा.-3) के अतिरिक्त कोई भी हमलावर की पहचान नहीं कर सका। उनके साक्ष्य के अनुसार, उन पर तब हमला किया गया जब वे चारपाइयों पर सो रहे थे और वे चोटें लगने के कारण सोते समय ही अचेत हो गए थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(8) बन्नू उर्फ बनवास (अ.सा.-3) वह व्यक्ति था जो पहला हमला होने के बाद जाग गया था। बन्नू उर्फ बनवास (अ.सा.-3) ने अभिसाक्ष्य दिया कि उस दुर्भाग्यपूर्ण रात वह तीरनाथ (अ.सा.-5) के साथ एक चारपाई पर सो रहा था। गणपत (अ.सा.-9) और सुदर्शन (अ.सा.-4) दूसरी चारपाई पर सो रहे थे। वे एक खुले स्थान पर पीपल के पेड़ के नीचे सो रहे थे। वहाँ दोनों तरफ मर्करी लाइटें लगी थीं। लाइटें चालू थीं और उस स्थान पर पर्याप्त रोशनी थी। रात करीब 1-2 बजे किसी ने उसके दाहिने हाथ पर प्रहार किया। वह चारपाई से नीचे गिर गया। उसने चिल्लाना शुरू किया और अपने भाई सुदर्शन (अ.सा.-4) की चारपाई के पास गया। उसने देखा कि सुदर्शन (अ.सा.-4) अचेत था। सुदर्शन को चोटें आई थीं। उस समय, उसने देखा कि अपीलार्थी वहाँ रॉड और फरसा लेकर मौजूद था।

उसने उससे पूछा कि वह उन पर हमला क्यों कर रहा है? इस पर, अपीलार्थी ने उसके कपाल पर फरसे से वार किया। अपीलार्थी ने उस पर फरसे और रॉड से बार-बार प्रहार किए। जब उसने वार रोकने का प्रयत्न किया, तो उसके हाथों पर भी चोटें आईं। उसके बाद उसने चिल्लाना शुरू किया और वह अर्ध-चेतन हो गया। पूर्णो वहाँ आया। बन्नू उर्फ बनवास (अ.सा.-3) से प्रतिपक्ष द्वारा दीर्घ प्रतिपरीक्षण किया गया, लेकिन बचाव पक्ष उसकी प्रतिपरीक्षण में ऐसी कोई परिस्थिति निकालने में असफल रहा, जिसके आधार पर या तो उसके परिसाक्ष्य को खारिज किया जा सके या यह कहा जा सके कि वह अपीलार्थी को प्रश्नगत अपराध में झूठा फँसा रहा था। उसने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि तीरनाथ (अ.सा.-5), सुदर्शन (अ.सा.-4) और गणपत (अ.सा.-9) पर पहले हमला किया गया था और जब अपीलार्थी उस पर हमला कर रहा था, तब वे अचेत थे। उसने बहुत स्पष्ट रूप से अभिसाक्ष्य दिया कि उसने देखा था कि वह अपीलार्थी ही था जिसने उसके साथ उपरोक्त तरीके से मारपीट की थी। उसने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इनकार किया कि वह हमला करने वाले व्यक्ति की पहचान नहीं कर सका। उसके साक्ष्य की कण्डिका-10 प्रकट करता है कि अपीलार्थी पीड़ितों के लिए अच्छी तरह से परिचित था; वास्तव में, अपीलार्थी बन्नू उर्फ बनवास (अ.सा.-3) का मित्र था। बन्नू उर्फ बनवास (अ.सा.-3) ने बयान दिया है कि वह हमले का कारण नहीं बता सकता। श्री वर्मा ने तर्क किया है कि घटना रात करीब 1-2 बजे हुई थी, इसलिए अंधेरे में अपीलार्थी की पहचान करना संभव नहीं था। हम बन्नू उर्फ बनवास (अ.सा.-3) के साक्ष्य के आलोक में उपरोक्त तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते, जिसने स्पष्ट रूप से बयान दिया कि वहाँ मर्करी लाइटें थीं और लाइटें चालू थीं, इसलिए हमलावर की पहचान करना कठिन नहीं था। अपीलार्थी 12 वर्ष की आयु से ही बन्नू उर्फ बनवास (अ.सा.-3) का परिचित था और इस प्रकार वह कोई अजनबी नहीं था। बन्नू उर्फ बनवास (अ.सा.-3) के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

संपूर्ण साक्ष्य की विवेचना पर, हम उसके साक्ष्य में ऐसी कोई त्रुटि नहीं पाते है जिससे उसके परिसाक्ष्य को खारिज किया जा सके।

(9) बिदेसी (अ.सा.-1) ने बन्नू उर्फ बनवास (अ.सा.-3) के साक्ष्य की संपुष्टि की है। उसने अभिसाक्ष्य दिया कि जब उसने रात में चिल्लाने की आवाजें सुनीं, तो वह घटनास्थल की ओर गया और देखा कि अपीलार्थी उस स्थान से भाग रहा था। उसने चारों पीड़ितों को घायल अवस्था में देखा था। उसने उनकी चोटों का विवरण भी दिया है। चेतन (अ.सा.-2) ने भी अभियोजन के प्रकरण का इस सीमा तक समर्थन किया है कि अपीलार्थी को रात में लोगों द्वारा पकड़ा गया था और उसे वहीं रखा गया था तथा बाद में पुलिस को सौंप दिया गया था। उपरोक्त साक्ष्य स्पष्ट रूप से प्रश्नगत अपराध में अपीलार्थी की संलिप्तता को दर्शाते हैं। हमारा यह अभिमत है कि विद्वान सत्र न्यायाधीश का यह मानना पूर्णतः न्यायोचित था कि यह साबित हो चुका था कि अपीलार्थी ने ही पीड़ितों को चोटें पहुँचाई थीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(10) हरि किशन एवं हरियाणा राज्य विरुद्घ सुखबीर सिंह व अन्य, एआईआर1988 एससी 2127 के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन न्यायालय को यह देखना होता है कि क्या कोई कृत्य, उसके परिणाम की परवाह किए बिना, उस आशय या ज्ञान के साथ और उन परिस्थितियों में किया गया था जिनका उल्लेख उस धारा में है। अभियुक्त का आशय या ज्ञान वैसा ही होना चाहिए जैसा हत्या के अपराध के लिए आवश्यक है। इस घटक के स्थापित हुए बिना, 'हत्या के प्रयत्न' का कोई अपराध नहीं बन सकता। धारा 307 के अधीन, आशय अभियुक्त पर आरोपित कृत्य से पूर्व आता है। इसलिए, आशय का अनुमान सभी परिस्थितियों से लगाया जाना चाहिए, न कि केवल निकलने वाले

परिणामों से। इस्तेमाल किए गए हथियार की प्रकृति, उसे चलाने का तरीका, अपराध का हेतुक, वार की गंभीरता, शरीर का वह अंग जहाँ चोट पहुँचाई गई है, कुछ ऐसे कारक हैं जिन पर आशय का निर्धारण करने के लिए विचार किया जा सकता है।

(11) हमने अभियोजन के प्रकरण का परीक्षण ऊपरोक्त संदर्भित सिद्धांतों के आधार पर किया है और हमें सत्र न्यायालय द्वारा अभिलिखित निर्णय और निष्कर्ष में कोई त्रुटि नहीं मिली है कि अपीलार्थी ने पीड़ितों के साथ उपरोक्त रीति से मारपीट की थी और उसका कृत्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के अधीन दंडनीय था।

(12) अब हम अपीलार्थी को प्रदत्त दण्ड की पर्याप्तता से संबंधित तर्क पर विचार करेंगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(13) जहाँ तक प्रदत्त कारावास के दण्ड का प्रश्न है, "उचित दण्ड का सिद्धांत" को विचार में रखना महत्वपूर्ण है, जो कि किसी अपराध के लिए दी जाने वाली आपराधिक दण्ड का आधार है। कोई व्यक्ति अपराध करने के लिए वास्तव में कितनी सजा का पात्र है, यही इसका अंतर्निहित सिद्धांत है। दण्ड अनुपातहीन रूप से अधिक नहीं होनी चाहिए, यह "उचित दण्ड" का ही एक परिणाम है जो उसी सिद्धांत द्वारा शासित होता है जो कहता है कि दोष के बिना कोई दण्ड नहीं हो सकती है और इस सिद्धांत के पीछे का मूल घटक अपराध और दण्ड के मध्य का अनुपात है। यद्यपि, दण्ड की मात्रा का निर्धारण सदैव सहायक कारकों पर निर्भर करेगा, जो आगे लागू विधि द्वारा विशेष रूप से प्रदान किए गए वैधानिक दायित्वों के अधीन होंगे।

(14) अपीलार्थी और पीड़ित एक-दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। बन्नू उर्फ बनवास (अ.सा.-3) ने अभिसाक्ष्य दिया कि अपीलार्थी 12-13 वर्ष की आयु से

उसका मित्र था। एकमात्र गंभीरकारी परिस्थिति, जिसके आधार पर अपीलार्थी को आजीवन कारावास की अधिकतम सजा सुनाई गई है, वह यह है कि उसने चार पीड़ितों के जीवन को समाप्त करने का प्रयत्न किया। शमनकारी परिस्थितियाँ यह हैं कि घटना के दिन अपीलार्थी की आयु लगभग 19 वर्ष थी। उसका कोई पूर्व दाण्डिक पृष्ठभूमि नहीं रहा है। यद्यपि उसने पीड़ितों को कई चोटें पहुँचाईं, लेकिन पीड़ितों को कोई हड्डी की चोट नहीं आई। अपीलार्थी वर्ष 1990 से विचारण की पीड़ा झेल रहा है। यदि हम उपरोक्त समस्त परिस्थितियों पर विचार करते हुए संतुलन बनाएँ, तो हमें यह ऐसा प्रकरण नहीं लगता जिसमें अधिकतम दण्ड दिया जाना आवश्यक था। हमारा यह अभिमत है कि प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, 10 वर्ष का कठोर कारावास न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु पर्याप्त होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(15) फलस्वरूप, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 (चार बार) के अधीन दोषसिद्ध किया जाता है और 10 वर्ष के कठोर कारावास (चार बार) से दण्डित किया जाता है। समस्त दण्डादेश साथ-साथ चलेंगी। अपीलार्थी पूर्व में भुगत ली गई कारावास की अवधि के मुजरा किए जाने का हकदार होगा।

सही/-

(मुख्य न्यायाधिपति)

सही/-

(सुनील कुमार सिन्हा)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By; Vikeshveri

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur